राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ. 24(103) आ.कृ./एनएमओओपी/2016–17/6642–6742 दिनांक : 13-06-2016

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
   जिला परिषद, समस्त ....

2. उप निदेशक कृषि (विस्तार)
   जिला परिषद, समस्त......................

विषयः– एनएमओओपी योजना वर्ष 2016–17 अन्तर्गत तिलहनी फसलों के प्रजनक बीज क्रय, आधार एवं प्रमाणित बीज उत्पादन तथा प्रमाणित बीज वितरण के लक्ष्य आवंटन एवं दिशा–निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत नेशनल मिशन ऑन आयलसीड्स एण्ड ऑयल पॉम (एनएमओओपी) अन्तर्गत मदवार अनुमोदित कार्यक्रम अनुसार तिलहनी फसलों के प्रजनक बीज क्रय, आधार एवं प्रमाणित बीज उत्पादन एवं प्रमाणित बीज वितरण के भौतिक एवं वित्तीय प्रावधान तथा सहायता पैटर्न का विवरण निम्न प्रकार है :–

नाम मद	सहायता पैटर्न	कुल प्रावधान	
		भौतिक (क्वि॰)	वित्तीय (ला॰रू॰)
प्रजनक बीज क्रय	भारत सरकार द्वारा निर्धारित यूनिफार्म दर का 100 प्रतिशत अनुदान देय है।	1100	100
आधार बीज उत्पादन	10 वर्ष तक की अवधि की अधिसूचित किस्मों हेतु रू0 1000/–प्रति क्वि॰ अनुदान देय है। उक्त राशि में से बीज उत्पादक को 750/– रू0 प्रति क्वि0 देय है एवं 250/–रू0 प्रति क्वि॰ संबंधित संस्था व्यय करेगी। 5 वर्ष से कम अवधि तक की अधिसूचित किस्मों हेतु उपरोक्त के अतिरिक्त रू0 100/–प्रति क्वि॰ अतिरिक्त अनुदान देय है।	9000	80
प्रमाणित बीज उत्पादन	10 वर्ष तक की अवधि तक की अधिसूचित किस्मो हेतु रू0 1000/–प्रति क्वि॰ अनुदान देय है। उक्त राशि में से बीज उत्पादक को 750/– रू0 प्रति क्वि0 देय है एवं 250/–रू0 प्रति क्वि॰ संबंधित संस्था व्यय करेगी। 5 वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित किस्मो हेतु उपरोक्त के अतिरिक्त रू0 100/–प्रति क्वि॰ अतिरिक्त अनुदान देय है।	115000	1150
किस्म विशेष बीज उत्पादन	5 वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित किस्मों के बीज उत्पादन पर प्रयोजना लागत का 75 प्रतिशत (प्रोजेक्ट आधार पर)	500	180
प्रमाणित बीज वितरण	**किस्में**:–15 वर्ष तक की अवधि की अधिसूचित किस्मों के प्रमाणित बीज वितरण पर बीज की कीमत का 50 प्रतिशत या रू0 2500/– प्रति क्वि॰, तथा तिल फसल के प्रमाणित बीज वितरण पर बीज की कीमत का 50 प्रतिशत या रू0 5000/– प्रति क्वि॰, जो भी कम हो। **संकर किस्में**:–15 वर्ष तक की अवधि की अधिसूचित संकर किस्मों के प्रमाणित बीज वितरण पर बीज की कीमत का 50 प्रतिशत या रू0 5000/– प्रति क्वि॰, जो भी कम हो।	80000	2000
योग		**205600**	**3545**

दिशा निर्देश : –

(अ) प्रमाणित बीज वितरण एवं उत्पादन :–

1. नेशनल मिशन ऑन आयलसीड्स एण्ड ऑयल पॉम अन्तर्गत अनुदानित दर पर तिलहनी फसलों का बीज प्राप्त करने हेतु कृषक द्वारा सम्बन्धित कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय में सम्पर्क कर **परिशिष्ठ–1** पर संलग्न प्रपत्र में सम्बन्धित कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी की सिफारिश उपरान्त उनके क्षेत्र में कार्यरत ग्राम सेवा/क्रय वि॰सह॰ समिति/सार्वजनिक क्षेत्र की बीज संस्थाओं के अधिकृत निजी विक्रेताओं से सिफारिश की गई फसल की किस्म का बीज अनुदानित दर पर प्राप्त कर सकेंगे।
2. कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी कृषकों को उनके क्षेत्र के लिये आवंटित लक्ष्यों की सीमा में ही "पहले आओ, पहले पाओ" के सिध्दान्त पर उक्त प्रपत्र में अनुदानित बीज की मात्रा, फसल व किस्म की सिफारिश करेंगे।
3. एक किसान को समस्त तिलहनी फसलों हेतु अधिकतम **5 हैक्टर क्षैत्र** तक ही प्रमाणित बीज अनुदान पर उपलब्ध कराया जा सकेगा।
4. प्रमाणित बीज वितरण मद में सार्वजनिक क्षेत्र की बीज संस्थाओं द्वारा 15 वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित किस्मों के प्रमाणित बीज की प्रति क्विण्टल कुल कीमत में से उपरोक्त तालिका में वर्णित अनुदान राशि कम करके अनुदानित दर पर कृषकों को बीज विक्रय किया जायेगा।
5. बीज विक्रेता सम्बन्धित उत्पादक संस्था के माध्यम से कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी द्वारा सिफारिश किये गये प्रपत्र मय कृषक सूची, जिसमें कृषक का पूर्ण पता, दिये गये बीज एवं विक्रय बिल का विवरण आदि सहित सम्बन्धित उप निदेशक कृषि (विस्तार) को प्रेषित करेंगे।
6. कृषि विभाग द्वारा संचालित एनएमओओपी योजना के तहत बीज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे बीज उत्पादन एवं वितरण की समुचित प्रकार से क्रियान्विति करने का पूर्ण दायित्व संबंधित बीज संस्थाओं का है, क्योंकि बीज उत्पादन, विपणन एवं वितरण की श्रृंखला से संबंधित गतिविधियों का कियान्वयन बीज संस्थाओं द्वारा ही किया जाता है। इस संदर्भ में बीज उत्पादन/वितरण/लाभार्थी कृषकों की सूची संधारण संबंधित कार्य संस्था के स्तर पर किया जायेगा।
7. लाभार्थी कृषकों की सूची का संधारण एवं प्रमाणीकरण संबंधित बीज संस्था द्वारा स्वयं किया जायेगा। संबंधित जिले के उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद द्वारा प्रमाणित बीज वितरण के संदर्भ में संबंधित संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये लाभार्थी कृषकों की सूची में से रेण्डम सेम्पलिंग के आधार पर भौतिक सत्यापन करेगें।
8. एनएमओओपी योजना अन्तर्गत उक्त निर्देशों/योजना प्रावधान अनुसार राजस्थान राज्य बीज निगम, तिलम संघ एवं राजफैड को अनुदान राशि का भुगतान कृषि आयुक्तालय स्तर से किया जायेगा तथा केन्द्रीय संस्थाएं यथा नेशनल सीड्स कारपोरेशन, आई.एफ.एफ.डी.सी. (इफको द्वारा प्रमोटेड संस्था), एवं कृषक भारती को–ऑपरेटिव लि0, एच आई एल आदि को सभी कम्पोनेन्ट यथा प्रजनक बीज क्रय, आधार/प्रमाणित बीज उत्पादन एवं प्रमाणित बीज वितरण पर अनुदान सीधे भारत सरकार से प्राप्त करना होगा।
9. राजस्थान राज्य बीज निगम, तिलम संघ एवं राजफैड को आवंटित लक्ष्यों एवं उनकी मांग अनुसार 70 प्रतिशत अनुदान राशि अग्रिम दी जा सकेगी तथा शेष राशि का पुनर्भरण रेण्डम वेरिफिकेशन की सूचना एवं अनुदानित दर पर विक्रय किये गये बीज की मात्रा का प्रमाणिकरण संबंधित उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद से करवाकर बीज संस्था द्वारा कृषि आयुक्तालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर किया जायेगा।
10. प्रमाणित बीज उत्पादन एवं प्रमाणित बीज वितरण कम्पोनेन्ट के तहत राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के कृषकों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में क्रमशः 17.80 एवं 13.50 प्रतिशत लाभान्वित किये जाने का प्रावधान है। इस हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के कृषकों को संबंधित जिलों में उनकी जनसंख्या के अनुपात एवं इस श्रेणी के कृषकों की बीज मांग अनुसार लाभान्वित करवाया जाये।
11. कुल अनुदान राशि में से 30 प्रतिशत राशि का व्यय महिला वर्ग के कृषकों को प्रमाणित बीज वितरण हेतु किये जाने के प्रयास किये जावे।
12. राजस्थान राज्य बीज निगम, तिलम संघ एवं राजफैड हेतु खरीफ 2016 में प्रमाणित बीज वितरण के जिलेवार एवं फसलवार भौतिक लक्ष्यों का विवरण **परिशिष्ठ–2** पर संलग्न है। आवंटित लक्ष्यों

का सहायक कृषि अधिकारी एवं कृषि पर्यवेक्षक क्षेत्रवार आवंटन सम्बन्धित उप निदेशक कृषि (वि०) द्वारा किया जायेगा। उप निदेशक कृषि (वि०) जिला परिषद उनके जिले को आवंटित कुल भौतिक लक्ष्यों की सीमा में फसलवार बीज उपलब्धता एवं आवश्यकतानुसार संशोधन कर सकेंगे, परन्तु अनुमोदन हेतु कृषि आयुक्तालय को प्रस्ताव प्रेषित करेंगे।

(ब) किस्म विशेष बीज उत्पादन (Variety Specific Targeted Seed Production) :–

13. तिलहनी फसलों के किस्म विशेष के गुणवत्तायुक्त बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु अधिक क्षेत्रफल में खेती के लिये बीज की आवश्यकता के मद्देनजर उक्त बीजों को अधिक मात्रा में किसानों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 5 वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित किस्मों के किस्म विशेष बीज उत्पादन कार्यक्रम (VSTSP) का प्रावधान रखा गया है। किस्म विशेष बीज उत्पादन अन्तर्गत 5 वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित किस्मों के बीज उत्पादन के लिए बीज उत्पादन लागत का 75 प्रतिशत अनुदान प्रोजेक्ट आधार पर नेशनल सीड्स कारपोरेशन/स्टेट सीड्स कारपोरेशनस/आई.सी.ए.आर./एस.ए.यू., के.वी.के. फार्मस एवं इन्टरनेशनल संस्थाओं को दिये जाने का प्रावधान है। किस्म विशेष बीज उत्पादन अन्तर्गत उत्पादित प्रमाणित बीज का उपयोग कृषकों को कृषि विभाग की योजनाओं के तहत मिनिकिट वितरण में किया जा सकेगा। इस कार्यक्रम अन्तर्गत बीज उत्पादक संस्थाओं द्वारा प्रेषित परियोजना प्रतिवेदनों (Project Proposals) के परीक्षण एवं सक्षम स्तर पर समीक्षा उपरान्त योजना के दिशा निर्देश एवं लक्ष्य अनुसार स्वीकृति दी जावेगी।
14. नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एण्ड ऑयल पॉम की भारत सरकार द्वारा जारी ऑपरेशनल गाईडलाईन की प्रतिएनएमओओपी शाखा द्वारा वर्ष 2014–15 आपको भिजवाई जा चुकी है। कार्यक्रम की क्रियान्विति में उक्त गाईडलाईन में वर्णित दिशा–निर्देशों की पालना की जावे।

यह दिशा निर्देश एवं लक्ष्य आवंटन सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

13/6/2016

(एच.एल. मीना)

अतिरिक्त निदेशक कृषि (आदान)

क्रमांक : एफ. 24(103) आ.कृ./एनएमओओपी/2016–17/6642-6742 दिनांक : 13-6-16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव कृषि, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त कृषि, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार/एनएमओओपी/अनुसंधान) कृषि आयुक्तालय, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन/आदान/योजना/आरकेवीवाई/गुण नियंत्रण/पौध संरक्षण/रसायन/एटीसी/जल उपयोग प्रकोष्ठ), मुख्यालय जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) समस्त।
6. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य बीज निगम लि0, जयपुर को भेजकर अनुरोध है कि खरीफ 2016 एवं रबी 2016–17 में आधार, प्रमाणित बीज उत्पादन एवं किस्म विशेष बीज उत्पादन का कार्यक्रम तैयार कर **7 दिवस** में भिजवना सुनिश्चित करें।
7. क्षैत्रीय प्रबन्धक, नेशनल सीड्स कारपोरेशन लि0, चौमू हाऊस, जयपुर।
8. स्टेट मार्केटिंग मैनेजर, कृषक भारती कॉ–ऑपरेटिव लि0, सहकार भवन, जयपुर।
9. वरिष्ठ प्रबन्धक, तिलम संघ, नेहरू सहकार भवन, जयपुर को भेजकर अनुरोध है कि खरीफ 2016 एवं रबी 2016–17 में आधार, प्रमाणित बीज उत्पादन एवं किस्म विशेष बीज उत्पादन का कार्यक्रम तैयार कर **7 दिवस** में भिजवना सुनिश्चित करें।
10. वरिष्ठ परियोजना प्रबन्धक, इण्डियन फार्म फोरेस्ट्री को–ऑपरेटिव लिमिटेड, 220/25, मेहता विला, पानेरियों की मादड़ी, मनामा मोटर्स के पीछे, हिरण मगरी, मेन रोड़, सेक्टर–5 उदयपुर–313002
11. महा प्रबन्धक कृषि (आदान), राजफेड लि०, 4 भवानी सिंह रोड, जयपुर।
12. उप निदेशक कृषि (सूचना) मुख्यालय।
13. परियोजना निदेशक कृषि, सी.ए.डी., कोटा/उप निदेशक कृषि (वि०) आई.जी.एन.पी. बीकानेर।

(डा. आर.जी. शर्मा)

संयुक्त निदेशक कृषि (आदान)

प्रपत्र "अ"

प्रमाणित बीज वितरण–रेण्डम सेम्पलिंग के आधार पर निरीक्षण/सत्यापन रिपोर्ट

नाम जिला .... वर्ष ....

क्र. सं.	नाम संस्था	फसल का नाम	योजना का नाम	अनुदानित दर पर वितरित बीज की कुल मात्रा (क्विं0)	लाभार्थी कृषकों की कुल संख्या	निरीक्षण		विशेष विवरण
						कृषकों की संख्या	बीज की मात्रा (क्विं0)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्रमाणित किया जाता है कि दिशा निर्देशानुसार :–

1 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के कृषकों को जिले में उनकी जनसंख्या के के अनुसार एवं इस श्रेणी के कृषकों की बीज मांग अनुसार लाभान्वित करवाया गया है।

2 एक किसान को समस्त तिलहनी फसलों का **5 हैक्टर क्षैत्र** से अधिक प्रमाणित बीज अनुदान पर उपलब्ध नहीं कराया गया है।

3 महिला वर्ग के कृषकों को प्राथमिकता से अनुदानित दर पर प्रमाणित बीज वितरण करवाया गया है।

4 बीज संस्थाओं द्वारा प्रमाणित बीज का विक्रय उनके द्वारा तय की गई कीमत में से अनुदान राशि कम करके विभाग की सिफारिश अनुसार कृषकों को विक्रय किया गया है।

हस्ताक्षर

उप निदेशक कृषि (विस्तार)
जिला परिषद ....

प्रपत्र–ब

एनएमओओपी योजनान्तर्गत मदवार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट

नाम जिला .... वर्ष ....

क्र. सं.	नाम संस्था	कम्पोनेन्ट	फसल का नाम मय किस्म	वितरित बीज की मात्रा (क्विं0)	अनुदान दर	श्रैणीवार वितरित बीज की मात्रा (क्वि			
						सामान्य	अनुजा	अजजा	योग
1	2		3	4	5	6	7	8	9

प्रमाणित किया जाता है कि दिशा निर्देशानुसार :–

1 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के कृषकों को जिले में उनकी जनसंख्या के के अनुसार एवं इस श्रेणी के कृषकों की बीज मांग अनुसार लाभान्वित करवाया गया है।

2 एक किसान को समस्त तिलहनी फसलों का **5 हैक्टर क्षैत्र** से अधिक प्रमाणित बीज अनुदान पर उपलब्ध नहीं कराया गया है।

3 महिला वर्ग के कृषकों को प्राथमिकता से अनुदानित दर पर प्रमाणित बीज वितरण करवाया गया है।

4 बीज संस्थाओं द्वारा प्रमाणित बीज का विक्रय उनके द्वारा तय की गई कीमत में से अनुदान राशि कम करके विभाग की सिफारिश अनुसार कृषकों को विक्रय किया गया है।

उप निदेशक कृषि (विस्तार)
जिला परिषद ....

परिशिष्ठ—1

कार्यालय उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद ....

अनुदान पर प्रमाणित बीज हेतु अनुशंषा

कृषक श्री / श्रीमती .... पुत्र / पत्नि श्री .... कृषक श्रेणी (सामान्य / अनु. जाति / अनु. जन जाति) निवासी गांव .... कृषि पर्यवेक्षक क्षेत्र .... सहायक कृषि अधिकारी क्षेत्र .... को नेशनल मिशन ऑन आयलसीड्स एण्ड ऑयल पॉम (NMOOP) में प्रमाणित बीज वितरण पर अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत फसल .... की पन्द्रह वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित किस्म .... का .... हैक्टर क्षेत्र के लिए उत्पादक संस्था राजस्थान राज्य बीज निगम लि. / तिलम संघ / राजफेड / राष्ट्रीय बीज निगम / कृभको / आईएफएफडीसी / हिन्दुस्थान इन्सेक्टिसाईड लि० का .... किलोग्राम प्रमाणित बीज अनुदान पर (अनुदान राशि .... रूपये प्रति किलोग्राम की दर से) उपलब्ध करवाने की अनुशंषा की जाती है। यह अनुशंषा आज दिनांक .... को जारी की जाती है तथा **जारी तिथि से 15 दिवस तक मान्य** होगी।

हस्ताक्षर
कृषक
दिनांक—

हस्ताक्षर
कृषि पर्यवेक्षक / सहायक कृषि अधिकारी क्षेत्र ....

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त कृषक को योजनान्तर्गत देय अनुदान राशि कम करने के बाद फसल .... की पन्द्रह वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित किस्म .... का .... किलोग्राम प्रमाणित बीज बिल न0 .... दिनांक .... के द्वारा उपलब्ध करवा दिया गया है।

हस्ताक्षर
कृषक
दिनांक—

हस्ताक्षर
नाम अधिकृत विक्रेता /
फर्म का नाम

परिशिष्ठ–2

District wise Subsidized Certified Seed Distribution Plan under NMOOP During -2016-17

S. No	District	Cropwise Tragets of Subsidized Seed distribution Through RSSC & Tilam Sangh (Seed in Qtls.)								Grand Total (qtls.)
		Ground Nut	Soybean			Til	Mustard			
		RSSC	RSSC	Tilam Sangh	Total	RSSC	RSSC	Tilam Sangh	Total	
1	Ajmer	100	0	0	**0**	10	200	100	**300**	**410**
2	Jaipur	1500	0	0	**0**	10	800	100	**900**	**2410**
3	Dausa	100	0	0	**0**	10	500	200	**700**	**810**
4	Tonk	100	0	0	**0**	10	1000	300	**1300**	**1410**
	Total	**1800**	**0**	**0**	**0**	**40**	**2500**	**700**	**3200**	**5040**
5	Sikar	300	0	0	**0**	10	200	0	**200**	**510**
6	Jhunjhunu	0	0	0	**0**	10	200	0	**200**	**210**
7	Nagaur	200	0	0	**0**	10	500	0	**500**	**710**
	Total	**500**	**0**	**0**	**0**	**30**	**900**	**0**	**900**	**1430**
8	Alwar	0	0	0	**0**	10	1000	0	**1000**	**1010**
9	Bharatpur	0	0	0	**0**	10	1000	0	**1000**	**1010**
10	Dholpur	0	0	0	**0**	10	300	0	**300**	**310**
11	S.Madhopur	0	0	0	**0**	10	1000	1000	**2000**	**2010**
12	Karauli	0	0	0	**0**	10	500	0	**500**	**510**
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**3800**	**1000**	**4800**	**4850**
13	Bikaner	900	0	0	**0**	10	200	200	**400**	**1310**
14	Churu	100	0	0	**0**	10	200	0	**200**	**310**
15	Jaisalmer	100	0	0	**0**	0	200	0	**200**	**300**
	Total	**1100**	**0**	**0**	**0**	**20**	**600**	**200**	**800**	**1920**
16	Sriganganagar	0	0	0	**0**	0	500	500	**1000**	**1000**
17	Hanumangarh	200	0	0	**0**	5	500	500	**1000**	**1205**
	Total	**200**	**0**	**0**	**0**	**5**	**1000**	**1000**	**2000**	**2205**
18	Barmer	0	0	0	**0**	10	100	0	**100**	**110**
19	Jodhpur	100	0	0	**0**	10	500	0	**500**	**610**
	Total	**100**	**0**	**0**	**0**	**20**	**600**	**0**	**600**	**720**
20	Sirohi	0	0	0	**0**	10	100	0	**100**	**110**
21	Jalore	0	0	0	**0**	10	100	0	**100**	**110**
22	Pali	0	0	0	**0**	10	100	0	**100**	**110**
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**30**	**300**	**0**	**300**	**330**
23	Kota	0	10000	7000	**17000**	1	500	1000	**1500**	**18501**
24	Baran	0	8000	5000	**13000**	1	400	1000	**1400**	**14401**
25	Bundi	0	5000	5000	**10000**	1	400	1000	**1400**	**11401**
26	Jhalawar	0	4000	5000	**9000**	0	500	800	**1300**	**10300**
	Total	**0**	**27000**	**22000**	**49000**	**3**	**1800**	**3800**	**5600**	**54603**
27	Banswara	0	1500	0	**1500**	0	0	0	**0**	**1500**
28	Dungarpur	0	500	0	**500**	0	0	0	**0**	**500**
29	Udaipur	100	500	0	**500**	0	100	0	**100**	**700**
30	Pratapgarh	0	500	0	**500**	0	100	0	**100**	**600**
	Total	**100**	**3000**	**0**	**3000**	**0**	**200**	**0**	**200**	**3300**
31	Bhilwara	100	2000	0	**2000**	1	100	100	**200**	**2301**
32	Chittorgarh	100	3000	0	**3000**	1	100	0	**100**	**3201**
33	Rajsamand	0	0	0	**0**	0	100	0	**100**	**100**
	Total	**200**	**5000**	**0**	**5000**	**2**	**300**	**100**	**400**	**5602**
	G.Total	**4000**	**35000**	**22000**	**57000**	**200**	**12000**	**6800**	**18800**	**80000**

F:\local disk d\2016-17\seed 2016-17\NMOOP\Tar.NMOOP-2016-17